106

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–शिवपुरी

R-161-III/14

श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी एड. द्वारा आज दि. 13.1.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र श्री रामचरन शर्मा, निवासी – कालामढ परगना, बेराड, परगना पोहरी, शिवपुरी (म.प्र.)
— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
— अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार वृत्त बेराड, परगना पोहरी, जिला–शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/14/अ–68 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम बेराड, परगना पोहरी, जिला शिवपुरी में स्थित आबादी भूमि कमांक 898/3/2 के रकवा 140 x 350 वर्गफीट पर आवेदक का मकान बनाकर कब्जा निरन्तर चला आ रहा है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2003 में उक्त भूमि का आंबटन किये जाने के निर्देश दिये थे।
2. यहकि, तहसीलदार वृत्त बेराड, परगना पोहरी, जिला–शिवपुरी द्वारा आवेदक को एक अपूर्ण सूचनापत्र दिनांक 13.12.2013 को इस आशय का दिया कि आपके द्वारा शासकीय भूमि सर्वे कमांक कमांक 898/3/2 के रकवा 30 x 60 वर्गफीट पर बिना इजाजत अतिकमण किया है, ऐसी स्थिति में क्यों न आपको बेदखल किया जाकर 50,000/–रूपये की शास्ति लगायी जाये। यह सूचनापत्र स्वत्व ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें रकवें का सही उल्लेख नहीं है ना ही स्थल जॉच किया जाकर पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिया था। वास्तविक यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उपरोक्त भूमि पर मकान निर्मित कर वह निवास कर रहा है। इस तथ्य की विधिवत जॉच किये बिना अधीनस्थ प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा सूचनापत्र जारी किया है, जो नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय

13/1/14

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–161–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

<u>लक्ष्मीनारायण शर्मा विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बेराड, परगना पोहरी, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 13/2014–15/अ–68 में पारित आदेश दिनांक 13–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	